




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 537]
No. 537]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, दिसम्बर 28, 1995/पौष 7, 1917
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 1995/PAUSA 7, 1917

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1995

सां० 820 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 22 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केबल टेलीविजन नेटवर्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1995 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 3 में, उप-नियम (3) के खण्ड (क) में, "पचास रुपए की फीस" अंकों और शब्दों के स्थान पर "एक सौ रुपए की फीस" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा० सं० 9/2/95-पी० बी० सी०]
के० एस० सर्मा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना सां० का० नि० 729(अ). तारीख 29 सितम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित की गई है ।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 1995

G.S.R. 820 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 22 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Central Government makes the following rules further to amend the Cable Television Networks Rules, 1994, namely :—

3117 GI/95

(1)

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Cable Television Networks (Second Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cable Television Networks Rules, 1994, in rule 3, in sub-rule (3), in clause (a), for the words and figures "a fee of Rs. 50", the words and figures "a fee of Rs. 100" shall be substituted.

[File No. 9/2/95-PBC]
K.S. SARMA, Jt. Secy.

Foot Note :—Principal notification has been published vide G.S.R. 729 (E) dated 29th September, 1994.